न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 2005 / 2905 / झालावाड़।

पूरीलाल दत्तक पुत्र भंवरलाल पुत्र मोतीलाल जाति चमार निवासी रावल तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

.....अपीलार्थी / वादी

बनाम

सुगनी बाई पत्नी सीताराम जाति चमार निवासी रावल तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.) हाल मुकाम लालाखेड़ी तहसील सुसनेर जिला शाजापुर (म.प्र.)

.....प्रत्यर्थी / प्रतिवादी

खण्ड–पीठ
श्री केसर लाल मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्या

———

उपस्थिति :–
श्री पूरीलाल राठौड़, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

————

निर्णय

दिनांकः 29 / 04 / 2025.

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 247 / 2002 बउनवान पूरीलाल बनाम सुगनी बाई में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–04–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी / वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 झालावाड़ के समक्ष ग्राम रावल तहसील पिड़ावा स्थित खाता संख्या 51 में 5 किता रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि बाबत् विरूद्ध प्रतिवादी भंवरलाल व सुगनी बाई राजस्व वाद संख्या–119 / 50 / दावा / 98 अंतर्गत धारा 88, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् पेश किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 13–09–2002 से खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलार्थी / वादी ने उपरोक्त प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश की जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–04–2005 द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार

अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों से अंसतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की है।

3— हस्तगत द्वितीय अपील वर्ष 2005 से लंबित है। प्रत्यर्थीया सुगनी बाई को कई बार तामील किये जाने व रजिस्टर्ड तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को हस्तगत अपील के गुणावगुण पर सुना गया।

4— अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय तनकीवार नहीं होने से आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी आदेश 41 नियम 31 के तहत पारित नहीं किये जाने से पुष्टि योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा दत्तक एवं वसीयत से संबंधित विवाद्यक को विनिश्चय करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 239 के तहत् भिजवाया जाना आवश्यक था क्योंकि वाद में साम्पातिक अधिकार का प्रश्न विद्यमान था। विचारण न्यायालय वसीयत के संबंध में निर्णय पारित करने हेतु सक्षम नहीं है। साथ ही वसीयत से संबंधित उत्पन्न प्रश्नों की प्रकृति दीवानी है, राजस्व नहीं है। इस कारण राजस्व न्यायालय को इस प्रश्न को निर्णीत करने का कोई क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं था। गोद व वसीयत संबंधी प्रश्न की वैधता को निर्धारित करना दीवानी न्यायालय का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार है। इसके अतिरिक्त वसीयत संबंधी अभिवचन एवं सबूत में विचलन है। सबूत साक्ष्य अधिनियम की प्रक्रिया अनुरूप नहीं है। इस बाबत् विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखी की है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलार्थी द्वारा अपने वाद के समर्थन में आवश्यक मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिसके खण्डन में प्रतिवादी प्रत्यर्थी की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया है। उसके उपरांत भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं कर विधि के सारवान तथ्यों की अनेदखी की है। वादी अपीलार्थी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 की अनुसूची 8 के वगै द्वितीय के तहत् उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी है जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई ध्यान नहीं देकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अंत में प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 15—04—2005 व 13—09—2002 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी वादी का वाद निस्तारित करने का निवेदन किया गया।

5— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित निर्णयों का भी समग्र अवलोकन व अध्यनन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी/वादी ने स्वयं को भंवरलाल द्वारा गोद लिये जाने एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उसका

समस्त क्रियाकर्म दत्तक पुत्र की हैसियत से किये जाने के आधार पर विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से कानूनन खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश किया। प्रत्यर्थी का दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह तर्क रहा है कि खातेदार भंवरलाल द्वारा उसके पक्ष में वसीयत की गई जिसे विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया। अपीलार्थी भंवरलाल का गोदपुत्र नहीं है। अपीलार्थी ने गोदनामा अथवा अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि वह भंवरलाल का गोदपुत्र हो। प्रत्यर्थी द्वारा खातेदार भंवरलाल द्वारा उसके पक्ष में दिनांक 20–03–1986 को पंजीकृत वसीयतनामा पेश किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वाद के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण वादपत्र निर्णय दिनांक 13–09–2002 द्वारा खारिज किया है तथा विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–04–2005 से की है। इस प्रकार उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समान निष्कर्षों पर आधारित है। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील पेश कर पुनः उन्हीं तथ्यों को उठाया गया है, जिनका निस्तारण वाद एवं प्रथम अपील के दौरान हो चुका है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। न्यायिक दृष्टांत *आर.आर.डी. 2007 पेज 587, गणेश बनाम राज. राज्य* में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समान निष्कर्षों पर आधारित अपने निर्णय दिये गये है, वहां द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसी प्रकृति का अन्य अभिमत *आर.आर.डी. 1973 पेज 580, श्री नारायण बनाम हनुमान* में भी प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त समवर्ती निर्णयों के खण्डन में कोई सुदृढ साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

7– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(केसर लाल मीणा)
सदस्य